

Estd. 1987

Reg. No. 74 / Ajmer / 1988-89, Dated 23/12/1988



राजस्थान गणित परिषद्

Rajasthan Ganita Parishad

पंजीकृत प्रधान कार्यालय : गणित विभाग, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर 305001

Website : www.rgp.co.in

PAN : AABAR2546Q

Email : rgp@rgp.co.in

संविधान

(दिनांक 02 मार्च, 2014 की साधारण सभा द्वारा किये गये संशोधनों सहित)

1. परिषद् का नाम 'राजस्थान गणित परिषद्' होगा। जिसे संक्षेप में 'परिषद्' कहा जा सकेगा।
2. परिषद् का मुख्य कार्यालय महासचिव के पद स्थापन के स्थान पर होगा।
पंजीकृत कार्यालय गणित विभाग, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर में होगा।
3. परिषद् का मुख्य उद्देश्य गणित के पठन - पाठन तथा शोध को प्रोत्साहित करना होगा। परिषद् की गतिविधियां शैक्षिक होंगी वाणिज्यिक अथवा लाभार्जन कारी नहीं।
4. सदस्यता :
 - 4.1. दिनांक 20-21 फरवरी, 1987 के प्रथम सम्मेलन तक सदस्यता शुल्क जमा करवाने वाले सभी व्यक्ति परिषद् के संस्थापक (*Founder*) सदस्य होंगे।
 - 4.2. सदस्यता प्रदान करने का पूर्ण अधिकार परिषद् में निहित है। आवेदन पत्र पर परिषद् की कार्यकारिणी द्वारा / अनुमोदन पश्चात ही सदस्यता प्रदान की जा सकेगी।
 - 4.3. परिषद् के उद्देश्य में रूचि रखने वाले गणित तथा गणितीय विज्ञान संकाय / अध्ययन मंडल (*Faculty of Mathematical Sciences / Board of Studies*) में सम्मिलित विषय में न्यूनतम स्नातकोत्तर उपाधि (*Master's Degree*) प्राप्त व्यक्ति परिषद् के सदस्य होने के पात्र होंगे परन्तु स्वैच्छिक अधिकारी नहीं। शोध संस्थान / केन्द्रीय एवं राज्यों में विधि (कानून) के द्वारा आधीन स्थापित एवं संचालित विश्वविद्यालय एवं उनसे संबद्ध (*affiliated*) स्वायत्तशासी / स्नातकोत्तर / स्नातक महाविद्यालय / पोलिटेक्निक महाविद्यालयों में नियमित रूप से चयनित पूर्ण कालिक शिक्षक हों या रहे हों।
 - 4.4. पंजीकृत शोध छात्र अपने शोध पत्रों को परिषद् के शोध जर्नल में छपवाने हेतु वार्षिक सदस्यता के पात्र होंगे।
5. परिषद् के सदस्यों को ऐसे शुल्क जमा करवाने होंगे जैसे समय - समय पर परिषद् की साधारण सभा द्वारा निर्धारित किये जावे। वार्षिक सदस्यता शुल्क प्रत्येक वित्तीय वर्ष (*financial year*) अर्थात् 01 अप्रैल से आगामी 31 मार्च के लिए देय होगा। शुल्क जमा नहीं करवाने पर सदस्यता

स्वतः समाप्त हो जायेगी। परन्तु 31 जुलाई तक पुरानी देयता (*dues*) जमा करवाकर वार्षिक सदस्यता के नवीनीकरण हेतु आवेदन किया जा सकेगा।

6. **कार्यकारिणी में पदाधिकारी** : परिषद् का संचालन एवं प्रबन्ध एक **कार्यकारिणी** द्वारा किया जायेगा जो निम्नलिखित **पदाधिकारियों** की बनी होगी -

क्रमांक	पद	संख्या	कार्यकाल
(1)	अध्यक्ष	1	1 वर्ष
(2)	गत वर्ष का अध्यक्ष	1, यदि हो तो	1 वर्ष
(3)	उपाध्यक्ष	1	1 वर्ष
(4)	महासचिव	1	1 वर्ष
(5)	गत वर्ष का महासचिव	1, यदि हो तो	1 वर्ष
(6)	सहसचिव	1	1 वर्ष
(7)	कोषाध्यक्ष	1	3 वर्ष
(8)	संपादक	1	3 वर्ष
(9)	कार्यकारिणी सदस्य	9 (चक्रानुक्रम)	3 वर्ष

नोट :

- (6.1) कोषाध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर में पदस्थापित सदस्यों में से चुना जायेगा।
- (6.2) यदि महासचिव तथा सहसचिव दोनों ही राजकीय महाविद्यालय, अजमेर में पदस्थापित न हो तो महासचिव कार्यकारिणी को वहां पदस्थापित किसी एक सदस्य को **अतिरिक्त सचिव (Additional Secretary)** नियुक्त करने का सुझाव दे सकेगा।
- (6.3) यदि सम्पादक राजकीय महाविद्यालय, अजमेर में पदस्थापित सदस्य न हो तो वह कार्यकारिणी को वहां पदस्थापित किसी एक सदस्य को **सम्पादकीय सचिव (Editorial Secretary)** नियुक्त करने का सुझाव दे सकेगा।
- (6.4) उपर्युक्त (6.2) तथा / अथवा (6.3) के अनुसार नियुक्त संपादकीय सचिव तथा / अथवा अतिरिक्त सचिव (पदस्थापित किसी एक सदस्य) भी कार्यकारिणी के सदस्य माने जावेंगे परन्तु वे गणपूर्ति के लिए नहीं गिने जावेंगे और न ही मतदान में भाग ले सकेंगे।
- (6.5) राजकीय महाविद्यालय, अजमेर में पदस्थापित नहीं रहने पर वे स्वतः ही अपने पद से मुक्त माने जायेंगे।
- (6.6) परिषद् के सभी पदाधिकारी अवैतनिक होंगे जो स्वेच्छा से बिना किसी वेतन, भत्ते, फीस, वाहन भत्ता, मोबाईल आदि प्राप्त किये कार्य करने के लिए तत्पर हों।

7. **पदाधिकारियों का कार्यकाल :**

- (7.1) परिषद् का कोई भी सदस्य **अध्यक्ष अथवा महासचिव पद पर दो कार्यकाल (term) से अधिक निरन्तर नहीं** रह सकेगा।
- (7.2) प्रतिवर्ष चुने गये तीन कार्यकारिणी सदस्यों का कार्यकाल **चक्रीय क्रम में तीन वर्ष** होगा। प्रथम अधिवेशन में 9 सदस्यों के चुनाव के समय ही यह निश्चित कर दिया जावेगा कि चुने गये सदस्यों में से किन तीन सदस्यों का कार्यकाल **एक वर्ष** होगा तथा किन तीन सदस्यों का कार्यकाल **दो वर्ष** होगा।

मध्यावधि में रिक्त हुए पद पर चुने गये कार्यकारिणी सदस्य का कार्यकाल पद रिक्त करने वाले सदस्य के कार्यकाल की **शेष अवधि (residue of the period)** के लिए ही होगा।

- (7.3) साधारण सभा की वार्षिक बैठक / अधिवेशन की सूचना / कार्यसूची (एजेन्डा) जारी हो जाने के पश्चात् बैठक / अधिवेशन तक अथवा उसके दौरान तत्कालिक पद रिक्त हो जाने की आकस्मिक परिस्थिति में कार्यकारिणी सदस्य के अतिरिक्त अन्य किसी पद पर चुने गये पदाधिकारी का तदर्थ कार्यकाल भी **एक वर्ष** ही होगा।
- (7.4) पदाधिकारियों के कार्यकाल के प्रसंग में एक वर्ष का अर्थ परिषद् की साधारण सभा के दो सामान्य अधिवेशनों के बीच की अवधि होगा, जो विशिष्ट परिस्थितियों में 8 से 15 माह तक हो सकती है। 12 माह से अधिक अवधि होने की दशा में परिस्थितियाँ विशिष्ट होने का निर्णय (कारणों का उल्लेख करते हुए) कार्यकारिणी को लेना होगा। दो अधिवेशनों की अवधि के बीच अध्यक्ष पद रिक्त होने की दशा में उपाध्यक्ष स्वतः कार्यकारी अध्यक्ष तथा महासचिव पद रिक्त होने की दशा में सह सचिव स्वतः कार्यकारी महासचिव हो जावेंगे।

8. चुनाव :

- (8.1) परिषद् के **पदाधिकारियों** का चुनाव परिषद् की साधारण सभा द्वारा ऐसे **नियमित चयनित एवं स्थायी सेवारत राजस्थानी आजीवन सदस्यों** में से किया जावेगा जिन्होंने परिषद् के **विगत अंतिम चार में से कम से कम दो** तथा परिषद् के **सदस्यों** के चुनाव हेतु **कम से कम एक अधिवेशन में विधिवत् रूप से (पंजीयन सहित) भाग लिया हो**।
- (8.2) चुनाव साधारण व सरल बहुमत के आधार पर किया जावेगा तथा बराबर मत आने की स्थिति में निर्णय सिक्का उछाल कर किया जावेगा।
- (8.3) **मताधिकार राजस्थानी आजीवन सदस्यों को ही प्राप्त होगा** जिन्होंने अधिवेशन के **प्रथम दिवस से पन्द्रह (15) दिन पूर्व तक** आवेदन तथा शुल्क जमा करवा दिया हो तथा अधिवेशन के पूर्व **कार्यकारिणी द्वारा अनुमोदित हो गया हो**।
- (8.4) **वार्षिक सदस्य को कार्यकारिणी के किसी पद का चुनाव तथा मतदान का अधिकार नहीं होगा।**
- (8.5) **राजस्थानी सदस्यों** से तात्पर्य उन सदस्यों से है जो राजस्थान राज्य में स्थित शैक्षिक शोध संस्थान, केन्द्रीय अथवा राज्य के विधि (कानून) के द्वारा / आधीन स्थापित व संचालित संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों व उनसे संबद्ध (स्वायत्तशासी सहित), स्नातक / स्नातकोत्तर / पोलिटेक्निक महाविद्यालयों में **नियमित रूप से चयनित पूर्ण कालिक स्थायी शिक्षक** हों या रहे हों। इसमें विद्यार्थी मित्र, गेस्ट फेकल्टी जैसे विभिन्न पद नामों से अथवा अंशकालीन / प्रति कालांश / प्रतिदिन / प्रति सप्ताह आधार पर अल्पकालीन नियुक्ति प्राप्त अथवा सेवा निवृत्ति पश्चात पुनर्नियुक्त शिक्षक अथवा कोचिंग केन्द्रों में कार्यरत शिक्षक सम्मिलित नहीं है।
- (8.6) **“सेवारत सदस्यों”** से तात्पर्य उन सदस्यों से है जो वर्तमान में उपरोक्तानुसार पूर्णकालिक नियमित सेवा में है। सेवानिवृत्ति पश्चात किसी भी प्रकार की पुनःनियुक्ति प्राप्त अथवा सेवानिवृत्त शिक्षकों को स्वीकृत प्रोजेक्ट में कार्यरत शिक्षक / शोधकर्ता सेवारत नहीं माने जायेंगे।

सेवानिवृत्ति / समाप्ति की दशा में अथवा निरन्तर 10 दिन तक किसी सरकार / संस्था की सेवा में नहीं रहने की दशा में पदाधिकारी स्वतः ही पद मुक्त माना जावेगा।

9. **उपनियम (Bye-laws)** : कार्यकारिणी एवं परिषद् की साधारण सभा की बैठकों का तथा गतिविधियों का संचालन कार्यकारिणी द्वारा अनुमोदित **उपनियमों (Bye-laws)** के अनुसार किया जायेगा।
10. **कार्यकारिणी के कर्तव्य एवं शक्तियां (Duties and Powers of executive committee)**: साधारण सभा के सर्वोपरि पुनरीक्षण अधिकार के अन्तर्गत **कार्यकारिणी के निम्नलिखित कार्य होंगे-**
 - (10.1) नये सदस्य स्वीकार करना।
 - (10.2) सदस्यता की विभिन्न श्रेणियों का प्रावधान करना तथा उनके द्वारा देय शुल्क निर्धारित करना।
 - (10.3) मानद (*Honorary*) सदस्यता प्रदान करने के लिए संस्तुति करना।
 - (10.4) पदक / प्रमाण पत्र प्राप्त कर्ताओं के नामों का अनुमोदन करना।
 - (10.5) कार्यकारिणी एवं परिषद् की साधारण सभा की बैठकों के तथा गतिविधियों के संचालन हेतु इस संविधान की धाराओं की विस्तृत व्याख्या करना, आवश्यकतानुसार उल्लेखित व अनुल्लेखित विषयों पर **उपनियम (byelaws)** बनाना तथा प्रक्रिया निर्धारण करना।
 - (10.6) सम्पादक मण्डल का आवश्यकतानुसार पुर्नगठन करना।
 - (10.7) परिषद् का वार्षिक बजट स्वीकृत करना तथा आय व्यय के विवरण पर विचार / जाँच व अंकेक्षण करना / करवाना तथा स्वीकृत प्रतिवेदन साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना तथा प्रसारित करना।
 - (10.8) अंकेक्षक नियुक्त करना तथा अंकेक्षण से प्राप्त प्रतिवेदन पर आवश्यक कार्यवाही करना।
 - (10.9) परिषद् के उद्देश्यों के अनुरूप भेंट, अभिदान, वित्तीय सहायता स्वीकार करना, उपयोग सुनिश्चित करना तथा आवश्यकतानुसार उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना।
परिषद् द्वारा / के माध्यम से प्रदान किये जा रहे पदक, पुरस्कार, प्रमाण-पत्र, प्रोत्साहन जारी रखने पर तथा नये संस्थापित करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर औचित्य, वित्तीय भार, प्रक्रियात्मक व्यवहारिकता, आदि की दृष्टि से विचार कर अपना आंकलन व संस्तुति साधारण सभा को प्रस्तुत करना।
 - (10.10) परिषद् की सम्पत्ति प्राप्त करना, धारण करना, निवेश व उपयोग करना।
 - (10.11) परिषद् की गतिविधियों के संचालन एवं प्रबंधन के सम्बन्ध में अन्य सब निर्णय लेना तथा कार्य करना जिसमें निवर्तमान पदाधिकारियों से चार्ज, सम्पत्ति, धन, लेखे, पंजिकायें व रेकार्ड प्राप्त करना भी सम्मिलित है।
 - (10.12) साधारण सभा द्वारा प्रदत्त वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत परिषद् के कार्य करने के लिए तदर्थ एवं अल्पकालीन / अंशकालीन कर्मचारी नियुक्त करने की स्वीकृति एवं अधिकार प्रदान करना।
 - (10.13) पदाधिकारियों में कार्य को विभाजित करना तथा कर्तव्यों एवं अधिकारों का **प्रत्यायोजन (delegation)** करना।

- (10.14) आकस्मिक रिक्तियाँ (*casual vacancies*) होने पर परिषद् की साधारण सभा की वार्षिक बैठक होने तक अथवा डाक से मत प्राप्त कर चुनाव होने तक के शेष काल के लिए कोषाध्यक्ष तथा / अथवा सम्पादक का चुनाव करना।
- (10.15) यदि उचित समझे तो कार्यकारिणी में **अधिकतम दो सदस्यों का सहवरण (co-option)** करना जिन्हें कार्यकारिणी की बैठक में गणपूर्ति के लिए नहीं गिना जावेगा।
11. परिषद् की साधारण सभा की बैठक **कम से कम एक माह** की अग्रिम सूचना देकर राजस्थान के ऐसे स्थान पर बुलाई जावेगी जैसा कार्यकारिणी निश्चित करें। परिषद् के राजस्थानी सदस्यों की **प्रभावी सदस्यता (members of good standing)** संख्या के **दस प्रतिशत (10%) सदस्यों द्वारा** लिखित मांग करने पर अध्यक्ष / महासचिव को एक माह की सूचना देकर साधारण सभा की विशेष बैठक बुलानी होगी।
- (11.1) **साधारण सभा** की बैठक के लिए **गणपूर्ति (quorum)** राजस्थानी सदस्यों की प्रभावी सदस्य संख्या का **बीस प्रतिशत (20%) या पांचवा भाग (1/5)** होगा।
- (11.2) **कार्यकारिणी** की बैठक के लिए **गणपूर्ति** उसकी प्रभावी सदस्य संख्या का **पचास प्रतिशत (50%) या आधा (1/2)** होगा।
- नोट : 1.** साधारण सभा की गणपूर्ति (कोरम) हेतु डोरमेन्ट (dormant) सदस्यों की गणना नहीं की जायेगी। डोरमेन्ट (असक्रिय) सदस्यों से तात्पर्य, ऐसे सदस्यों से जो परिषद् के विगत अंतिम छः (6) अधिवेशनों में विधिवत रूप से लगातार / नियमित भाग नहीं ले रहे हों।
- 2.** गणपूर्ति के नियम की अवहेलना बैठक को कृत्रिम रूप से स्थगित व पुनः आहूत कर नहीं की जा सकेगी। कार्यकारिणी की स्थागित बैठक नये सिरे से निर्धारित सूचना (नोटिस) देकर ही आहूत की जा सकेगी।
- 3.** गणपूर्ति के अभाव में परिषद् की वार्षिक बैठक / अधिवेशन के लिए उपस्थित पंजीकृत (रजिस्ट्रेशन) करवाने वाले सदस्यों में से **तीन चौथाई (3/4)** सदस्यों की उपस्थिति में भी परिषद् की गतिविधियों में व्यवधान नहीं पड़ने देने की दृष्टि से आवश्यक निर्णय लिये जा सकेंगे तथा चुनाव करवाये जा सकेंगे परन्तु उन पर आगामी बैठक में पुर्नविचार किया जाना आवश्यक होगा।
12. परिषद् की साधारण सभा तथा कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय सामान्य बहुमत के आधार पर लिये जावेंगे परन्तु उपनियमों (*Byelaws*) में संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में उपस्थित सदस्यों के न्यूनतम **दो तिहाई (2/3)** मत अंकित होना **अनिवार्य** होगा तथा संविधान संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में अंकित मतों की संख्या उपस्थित सदस्यों की संख्या के **दो तिहाई (2/3)** के साथ ही परिषद् के कुल प्रभावी राजस्थानी सदस्यों की संख्या के **एक चौथाई (1/4)** भाग से कम नहीं होनी चाहिये।
13. यदि परिषद् की साधारण सभा में प्रभावी सदस्य संख्या के **एक चौथाई (1/4)** सदस्यों से कम की उपस्थिति में स्वीकृत किसी प्रस्ताव से कार्यकारिणी सहमत न हो तो दो माह की अवधि में कार्यकारिणी के निर्देश पर महासचिव परिषद् के सभी सदस्यों को उस विषय पर उपनियमों के अनुसार डाक द्वारा मत देने के लिए अनुरोध कर सकेंगे इस अनुरोध पर जितने भी सदस्यों के मत प्राप्त होंगे उनके आधार पर बहुमत का निर्णय अंतिम रूप से उसी प्रकार मान्य होगा जैसा साधारण सभा की बैठक में लिये गये निर्णय होते हैं। कार्यकारिणी ऐसे विषयों पर भी जिन्हें वह परिषद् के आगामी वार्षिक अधिवेशन तक स्थगित करना उचित नहीं समझती हो, परिषद् के सदस्यों का मत

उपनियमों के अनुसार डाक द्वारा प्राप्त कर सकेगी, जिसका निर्णय प्राप्त मतों के बहुमत के आधार पर होगा।

14. यदि दो सामान्य वार्षिक अधिवेशनों के बीच का अन्तराल बारह (12) माह की समाप्ति होने तक अध्यक्ष, महासचिव व सहसचिव पदों के लिए, तथा आवश्यकतानुसार कोषाध्यक्ष तथा / अथवा संपादक पदों के लिए **चुनाव भी डाक से मत प्राप्त कर** करना होगा। ऐसे चुनाव में कार्यकारिणी सदस्य के अतिरिक्त वर्तमान पदाधिकारी किसी भी पद के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकेंगे।
15. (15.1) परिषद् का कोई पदाधिकारी अध्यक्ष अथवा महासचिव को संबोधित व प्रेषित / प्रस्तुत लिखित त्यागपत्र देकर स्वेच्छा से पद त्याग कर सकता है, परन्तु उसे अध्यक्ष / कार्यकारी अध्यक्ष / कार्यकारिणी द्वारा की गई वैकल्पिक व्यवस्था / निर्देशों के अनुसार अपने पास रहे परिषद् के अभिलेख (रेकार्ड) व पंजिकायें, लेखें, संपत्ति व धन आदि का '**चार्ज**' नामित (*nominated*) व्यक्ति को संभलवाना होगा। त्याग पत्र में अंकित किसी भी टिप्पणी, शर्त, प्रतिबंध आदि किन्तु - परन्तुक पर ध्यान नहीं दिया जावेगा। त्याग पत्र वापस नहीं लिया जा सकेगा।
- (15.2) अध्यक्ष स्वेच्छा से उपाध्यक्ष अथवा महासचिव को संबोधित व प्रेषित / प्रस्तुत लिखित त्याग पत्र देकर अपना पद त्याग कर सकते हैं जो तुरन्त प्रभावी होगा तथा प्राप्तकर्ता उपाध्यक्ष को कार्यकारी अध्यक्ष घोषित करेंगे तथा कार्यकारिणी के शेष सदस्यों को सूचित करेंगे।
- (15.3) परिषद् का कोई भी सदस्य अध्यक्ष को सम्बोधित व प्रेषित / प्रस्तुत लिखित त्याग पत्र देकर स्वेच्छा से परिषद् की सदस्यता त्याग सकता है, परन्तु ऐसा करने पर उसे पूर्व में जमा करवाये शुल्क की पूर्ण अथवा आंशिक वापसी (refund) नहीं की जावेगी तथा उस पर परिषद् की बकाया लेनदारी समाप्त नहीं हो सकेगी।
16. (16.1) परिषद् के किसी पदाधिकारी द्वारा परिषद् के संविधान, उपनियमों व निर्देशों के विरुद्ध आचरण करने, अपने दायित्व का उचित निर्वहन नहीं करने, परिषद् के हित के प्रतिकूल कार्य करने, तथा / अथवा आर्थिक या अन्य प्रकार की हानि पहुँचाने तथा / अथवा गतिविधियों व सभा संचालन में बाधा डालने जैसे सार्वजनिक व शिक्षण क्षेत्र में परिषद् के सदस्य व शिक्षक की गरिमा के प्रतिकूल कार्य व आचरण करने पर परिषद् की कार्यकारिणी तथा / अथवा साधारण सभा उसके प्रति **असंतोष प्रकट कर सकती है** अथवा **निंदा प्रस्ताव पारित कर सकती है**। इन दोनों स्थितियों में उसे तुरन्त प्रभाव से **पद मुक्त हुआ माना जावेगा** तथा उसे परिषद् के रेकार्ड, लेखे, पंजिकायें, धन, संपत्ति आदि अध्यक्ष / कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्ति को संभलवानी होगी तथा संपत्ति की हानि का पुनर्भरण (reimburse) भी करना होगा।
- (16.2) कार्यकारिणी में ऐसा प्रस्ताव स्वीकृत होने के लिये उसकी कुल प्रभावी सदस्य संख्या के **आधे (1/2) मत प्रस्ताव के पक्ष** में अंकित होना आवश्यक होगा। साधारण सभा में ऐसा प्रस्ताव उचित गणपूर्ति में अंकित मतों के बहुमत से स्वीकृत हो सकेगा। प्रस्ताव के परिणामस्वरूप प्रभावी कार्यवाही करने का प्रमुख दायित्व अध्यक्ष / कार्यकारी अध्यक्ष व

महासचिव / कार्यकारी महासचिव का होगा परन्तु कार्यकारिणी के अन्य पदाधिकारियों / सदस्यों से भी इस हेतु प्रयासों में सहयोग देने की अपेक्षा की जाती है।

17. किसी सदस्य द्वारा **दुराचरण** करने अथवा परिषद् की गतिविधियों के संबंध में अथवा / तथा सार्वजनिक व शिक्षण क्षेत्र में परिषद् के **सदस्य / शिक्षक की गरिमा के प्रतिकूल आचरण करने** अथवा **परिषद् की गतिविधियों में बाधा डालने** अथवा / तथा परिषद् के हित को हानि पहुँचाने पर परिषद् की साधारण सभा उसे सदस्यता से **निलंबित अथवा सदस्यता से वंचित कर सकती है**। ऐसा किये जाने पर उसे किसी प्रकार की शुल्क वापसी प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। ऐसे प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु संविधान संशोधन प्रस्ताव की स्वीकृति के समान मत प्राप्त करना आवश्यक होगा।
18. परिषद् समान उद्देश्य रखने वाली राष्ट्रीय स्तर की अथवा राजस्थान के अतिरिक्त अन्य राज्यों की परिषदों / सोसायटी / एसोसियेशन आदि से अपनी साधारण सभा की सहमति से (जैसी संविधान संशोधन के लिए आवश्यक है) विशेष सम्बन्ध स्थापित कर सकती है अथवा उससे समाहित होने का निर्णय ले सकती है।
19. परिषद् अपनी साधारण सभा के निर्णय से स्वयं को समाप्त (लिक्रिडेट) कर सकती है, जिस स्थिति में परिषद् की देयता को निपटाने के बाद बची सम्पत्ति राजकीय महाविद्यालय, अजमेर के गणित विभाग को स्वतः स्थानान्तरित हो जावेगी। ऐसे निर्णय के पक्ष में उपस्थित सदस्यों की संख्या के **दो तिहाई (2/3)** मत प्राप्त होना अनिवार्य होगा जो परिषद् की प्रभावी राजस्थानी सदस्यों के **आधे (1/2)** से कम नहीं होगी।
20. सभी प्रसंगों का न्याय क्षेत्र महासचिव के पदस्थापन का स्थान रहेगा।

अध्यक्ष
राजस्थान गणित परिषद्

महासचिव
राजस्थान गणित परिषद्